BIADA
BIHAR INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT AUTHORITY

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना–800004
Website-www.biadabihar.in, Email-biada-bih@gov.in Phone: 0612-2675991/2675002

कार्यालय आदेश

बियाडा के निदेशक पर्षद् की 81वीं बैठक दिनांक 13.12.2022 की कार्यावली संख्या 03 में अकार्यरत इकाईयों के लिए भूमि हस्तानांतरण हेतु एक मौका देने का निर्णय लिया गया है,

01. बियाडा के अन्तर्गत One Time Opportunity के रूप में सभी यूनिट यदि वे चाहे तो अपने यूनिट का हस्तांतरण निम्न प्रकार से शुल्क देकर करवा सकते हैं:–

   I. कार्यशील यूनिट अथवा 01 जनवरी 2022 के बाद से अकार्यशील यूनिट – हस्तांतरण शुल्क MVR का 10 प्रतिशत।

   II. 01 जनवरी 2020 के बाद से अकार्यरत यूनिट– हस्तांतरण शुल्क MVR का 15 प्रतिशत।

   III. 01 जनवरी 2018 के बाद से अकार्यरत यूनिट– हस्तांतरण शुल्क MVR का 20 प्रतिशत।

   IV. 01 जनवरी 2018 के पूर्व अकार्यरत यूनिट– हस्तांतरण शुल्क MVR का 25 प्रतिशत।

02. उपरोक्त शुल्क का भुगतान कर यूनिट को हस्तांतरण करने के मामले में जिस फर्म/कम्पनी/व्यक्ति (Transferee) द्वारा यूनिट का हस्तांतरण लिया जा रहा है उन्हें यह शपथ–पत्र देना होगा कि वे 06 माह के अन्दर यूनिट में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर देंगे। यदि यूनिट में पूर्व से चल रहे उत्पादन के स्थान पर नए मशीन उपकरण आदि का अधिष्ठापन करते हुए नए उत्पाद का उत्पादन किया जाना हो तो यह अवधि अधिकतम 12 महीने होगी।

03. Transferee को Undertaking में यह भी देना होगा कि वे उपरोक्त Timeline के अनुसार उत्पादन प्रारम्भ नहीं कर पाते हैं तो जमीन का कब्जा स्वतः बियाडा के पास आ जायेगा तथा वे इसके विरूद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे।

04. साथ ही Transferee को बियाडा के संबंधित औद्योगिक क्षेत्र के भूमि मूल्य का 05 प्रतिशत बैंक गारन्टी के रूप में देना होगा जो एक वर्ष के लिए मान्य होगा। तथा Transferee यूनिट द्वारा उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया जाता है तो बियाडा इस बैंक गारन्टी को जब्त करने हेतु स्वतंत्र होगी।

05. उपरोक्त One Time Opportunity हेतु निम्नलिखित यूनिट पात्र होंगे:–

क्रम	नियम
01.	ऐसे सभी यूनिट जिनका वर्तमान में आवंटन वैद्य है।
02.	ऐसे सभी यूनिट जिनका आवंटन बियाडा द्वारा रद्द कर दिया गया है वे अपीलीय प्राधिकार की अनुमति से अथवा अपील Withdraw करके इस नीति का लाभ उठा सकते हैं।
03.	ऐसे सभी यूनिट जिनका आवंटन बियाडा द्वारा रद्द कर दिया गया है तथा उनके द्वारा माननीय न्यायालय में रिट याचिका दायर की गयी है जो विचाराधीन है। वे माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति से अथवा रिट याचिका Withdraw करके इस नीति का लाभ उठा सकते हैं।

06. इस योजना के अन्तर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक–31.01.2023 तक होगी। साथ हीं यदि वैसी इकाई जिनका भू–आवंटन रद्द होने के पश्चात् किसी अन्य को पुनः आवंटित कर तृतीय पक्ष का हित प्रतिस्थापित हो चुका हो, तो वैसे मामले में रद्द इकाई को इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा। योजना का लाभ देने अथवा नहों देने के बिंदू पर प्रबंध निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।

07. इस योजना के तहत दिनांक–31.01.2023 तक प्राप्त आवेदनों हेतु बियाडा भू–आवंटन नीति, 2022 की कंडिका–12.1 में वर्णित प्रावधान इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनो पर शिथिल रहेंगे। इस तिथि के बाद प्राप्त आवेदन प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। रद्द आवंटन के मामले में माननीय उच्च न्यायालय/ अपीलीय प्राधिकार का आदेश अथवा रिट याचिका/अपील Withdraw करने का साक्ष्य देना होगा। आवेदन प्रपत्र Executive Director South एवं Executive Director North के कार्यालय में जमा कराये जा सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ लगने वाले Transferer एवं Transferee द्वारा दिए जाने वाले शपथ–पत्र प्रपत्र संलग्न है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाय।

प्रबंध निदेशक का आदेश
दिनांक 15.12.2022
ह0/–

कार्यकारी निदेशक(संचालन)
बियाडा, पटना।

ज्ञापांक–7582 दिनांक 15.12.2022

प्रतिलिपिः– संयुक्त प्रबंध निदेशक, बियाडा/ कार्यकारी निदेशक–नॉर्थ, साउथ, प्रोजेक्ट, निवेश प्रोत्साहन/विधि सलाहकार, बियाडा/सभी उप महाप्रबंधक, बियाडा/आई. टी. शाखा, बियाडा/प्रभारी, प्रबंध निदेशक कोषांग, बियाडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/12/22

कार्यकारी निदेशक(संचालन)
बियाडा, पटना।

Stamp/e-stamp paper (For Transferor)

AFFIDAVIT

I, ………………………………, age …… S/o/D/o ……………………………………, R/o,……………………………………………………………………………………………, P.O. ……………… District …………….. Pin …………….do hereby solemnly affirm and declare as follows:-

1. That I am allottee/authorized partner/Director/authorized representative of the M/s ……………………………………… situated at ………….. and I am duly authorized to swear the affidavit on behalf of unit.
2. That I unequivocally affirm and state that I wish to take the benefits of 'One Time Opportunity to Transfer' on my own volition and prerogative.
3. That I affirm and state that I am willing to pay transfer fees as envisaged in the policy and in terms thereof instantaneously.
4. That I accept the terms and conditions of the One Time Scheme of the transfer issued vide memo no. …………. Dated …………….
5. That the contents of this affidavit have been read over by me and understood the same and they are true to my knowledge and belief.

Deponent

………

Stamp/e-stamp paper (For Transferee)

AFFIDAVIT

I, ..., age ...... S/o/D/o ....,
R/o...,
P.O. .... District .... Pin ....do hereby solemnly affirm and declare as follows:-

1. That I am the transferee of the unit namely ....
2. That I affirm and undertake that within six (6) months, I will commence the commercial production in the said transferred unit.
3. That I further affirm and state that if I fail to stick to the timeline as stipulated in the policy, then the physical possession of the land shall be automatically be vested and repossessed by BIADA and the unit shall lose all rights therein.
4. That I further affirm and undertake that I will not initiate any legal proceeding against BIADA or take any recourse of action against BIADA in whatsoever manner in contravention to this unequivocal undertaking and order of the Managing Director, BIADA will be final and binding.
5. That I have gone through the One Time Scheme for transfer.
6. That I accept the terms and conditions of the One Time Scheme of the transfer issued vide memo no. .... Dated ....
7. That the contents of this affidavit have been read over by me and understood the same and they are true to my knowledge and belief.

Deponent

....